

न्यायपालिका भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

सुरजी चंद

बनाम

सुरजी लाल

किस्म मुकदमा

75 LRA

मु. नं०

३९

वर्ष 2018

12-9-18 वकील अपीलकर्ता सुरजी चंद के नाम से जारी है। तब से कालांतर में 15/10/18 को 2570-18 के नाम से नया अपील प्रस्तुत किया गया है।

8/10/18

पुनर्वकील सुरजी चंद वकील भास्कर लाल सिंह के द्वारा पेशी लंबी मुद्दा अपीलकर्ता के नाम से

Not Pressed जागे नहीं चलाना चाहता है

सुरजी चंद शर्मा



सत्यमेव जयते

पुनर्वकील पेश। वकील अपीलकर्ता के द्वारा पेशी लंबी मुद्दा अपीलकर्ता के नाम से जारी किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः वकील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलकर्ता से अपीलकर्ता पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय रात 15/10/18 को प्रकाशित फैसल शुमार होकर पेशी नोट प्रेस में खारिज कर दिया तब तक मील वाकिल वाकिल के नाम से 15/10/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर